कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

अल्पकालीन निविदा–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपदा (बाढ़/सुखाड़) की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2017–18 मे मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्डों में पशुओं के लिए सूखा चारा गेहूँ का भूसा एवं कूटी (पुआल–नेवारी) का दर / आपूर्तिकर्त्ता के निर्धारण के लिए मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 15.07.2017 अपराहन 03:00 बजे तक जिला पशुपालन कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। दिनांक 15.07.2017 को 4:00 बजे निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। सूखे चारा का क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार सम्बंधित पदाधिकारी द्वारा ही किया जाएगा एवं भुगतान भी उन्हीं के स्तर से किया जाएगा।

तकनीकी भाग (क)

1. निविदा के साथ 10,000.00 (दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट (अधोहस्ताक्षरी) के पदनाम के पक्ष में एवं मुजफ्फरपुर में देय हो) जमा करना अनिवार्य है। इस निविदा में असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि क्रय समिति के निर्णय के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।
2. निविदा द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सूखे चारे का 200 ग्राम नमूने के रूप में (जो पारदर्शी प्लास्टिक में नाम पता के साथ मुहरबंद हो) निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदा में सूखा चारा गेहूँ का भूसा एवं कुटी (पुआल/ नेवारी) का प्रति क्विंटल दर (आपूर्ति आदेश में अंकित स्थान तक तौलवाकर एवं रखवाकर) अंकित रहना अनिवार्य हैं। उक्त अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी रशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगी।
4. आपूर्ति किये जाने वाला सूखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूने के अनरूप नही होने पर आपूर्ति नहीं ली जाएगी।
5. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति नहीं देने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की रशि जब्त कर ली जाएगी।
6. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जाएगी।
7. आपूर्ति आदेश के अनुसार सूखा चारा की आपूर्ति करने की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व देनी होगी।
8. एक से अधिक निविदादाताओं को एक ही दर स्वीकृत होने पर सम्बंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी निविदादाता / आपूर्तिकर्त्ता या सभी को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा सूचना वेबसाईट **www.ahd.bih.nic.in** या वेबसाईट **www.muzaffarpur.nic.in** पर देखी जा सकती हैं। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर से प्राप्त की जा सकती है।
11. निविदादाता का निबंधन एस.एस.आई.या किसी अन्य संस्थान का रहना आवश्यक होगा।
12. निविदादाता /फार्म का आयकर निबंधन आवश्यक होगा।
13. निविदादाता का फार्म या संस्थान काली सूचि में नहीं होने संबंधित शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय भाग– (ख)

1. निविदादाता को शील बंद लिफाफे में चारा गेहूँ का भूसा एवं कूटी (पुआल–नेवारी) का दर प्रति क्वींटल के दर से भाड़ा सहीत अलग–अलग देना अनिवार्य होगा।
2. निविदा दो शील बंद लिफाफे मे एक वित्तीय एवं दुसरा भाग तकनीकी होना अनिवार्य होगा।

30.6.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर